365

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य/के.भं./क्रय/58/2018-19/2-2-674 दिनांकः 16/7/18

3446 18-7-2018

AD Mktg

ई-बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के बंदियान रसोईघरों के लिए बर्तन सैट आदि क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है,

ई-बोली दिनांक 16.07.2018 को सांयकाल 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड़ प्रारम्भ की तिथि	16.07.2018 को सांयकाल 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	16.07.2018 को सांयकाल 5.00 PM से
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	02.08.2018 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	02.08.2018 को सायंकाल 2.00 PM तक
5.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	02.08.2018 को सायंकाल 3.00 PM
6.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट www.home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.*in* पर देख सकते हैं।

- sd-

(विक्रम सिंह कर्णावत)
उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/के.भं./क्रय/83/2018-19/2-2675-95 दिनांकः 16/7/18

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव..।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंड़ल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 7 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशनकरावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई-बोली को एसपीपीपी एवं ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

आज 3.8 P.M पर प्राप्त

18-7-2018

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

366

क्रमांकः सामान्य/के.भं./क्रय/58/2018–19/22674 दिनांकः 16/07/2018

विस्तृत ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों के बंदियान रसोईघरों के लिए बर्तन सैट आदि क्रय करने हेतु ई–बोली आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 16/07/2018 को सायं 5.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 02/08/2018 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाइन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 02/08/2018 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा बर्तनों आदि का एक–एक नमूना जमा कराने होंगे। ई–बोली की क्वालीफाईड बिड दिनांक 02/08/2018 को दोपहर बाद 3.00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट "www.home.rajasthan.gov.in" अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देख सकते है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	स्टेनलेस स्टील बर्तन सैट (थाली–1 मग–1, कटोरी–2, चम्मच–1)	20000 सैट	4200000	84000/-	1000/-	20 दिवस
2.	स्टील चाय कंटेनर मय टोंटी 20 लीटर क्षमता	266 नग	790000	15800/-		

बोली की मुख्य शर्ते

1. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
   1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है --रूपये 500/--प्रति बिडर प्रति बोली
3. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा 02.08.2018 को सायंकाल 2.00 PM तक तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
4. क्वालिफाईग बिड (तकनीकी) में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड (तकनीकी) खुलने की दिनांक से 10 कार्यालय दिवस के अंतर्गत खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
5. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Tender) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट (Type II o Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए.(Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।

निर्माता द्वारा बोलीयॉ :–

(i) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित आइटम के लिए बोली, सम्बन्धित आईटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेन्ट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट– 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन किये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उधोग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।

8. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतु:–

(i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–ा/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iii) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(iv) ई–बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में **अंकित समस्त आईटम्स्** वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनसुार " सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म एवं लद्यु" उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ–पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(vi) वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय अद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप "क" मय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. विभाग चाहेगा तो बोली सूचना में अंकित आईटम का डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन/प्रजेन्टेशन में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।

10. यदि सैट की कोई भी आईटम/वस्तु निम्न गुणवत्ता की होगी तो वह आईटम/वस्तु उपापन समिति अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी।

11. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम–66 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुडस (प्रीफरेन्स टू एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उघमो को कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनो नियमानुसार प्रदान की जावेगी ।

12. बोली के साथ बोलीदाता जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 4(i) (ii) देखें) की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।

13. जो शर्ते SSI Units पर लागू होती है वे अन्य फर्म के निविदादाताओं पर लागू होगी।

14. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

15. दरों की वैधता –प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

16. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रकिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रकिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

17. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

18. **विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, स, द तथा इ एवं अनुलग्नक–अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट अ, ब, स, 'द' व 'ई' एवं अनुलग्नक अ, ब, स, डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ स्केन कर अपलोड़ करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।**

19. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रकियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

20. विभागीय उपापन समिति के निर्णायनुसार महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।

21. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथा आवश्यकता/ स्थानानुसार लागू रहेगें।

22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राज. जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।

23. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

1. अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर
   दूरभाष नं. 0141–2601047 ई–मेल generaljhq@gmail.com
2. उप अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
   दूरभाष नं. 0141–2619202 ई–मेल generaljhq@gmail.com

उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर